"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2005—भाद्र 4, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1994), संचालक, खनिज एवं संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 6-4/2003/1/एक.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 35 श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भरती के लिये "राज्य सेवा परीक्षा" नामक एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने हेतु "राज्य सेवा परीक्षा नियम", समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जून, 2003 से जारी किये गये है. उक्त "राज्य सेवा परीक्षा नियम" में पदों की श्रेणी क्रमांक 35 के पश्चात् क्रमांक 36 पर "अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी" एतद्द्वारा जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक ई-7/06/2005/1/2/लीव.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 16-8-2005 से 18-8-2005 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14, 15 अगस्त, 2005 तथा 19, 20 एवं 21 अगस्त, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन, भा.प्र.से., आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/4525/152/25-2/आजावि/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के संविधान की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 के प्रावधान के अनुसार सुश्री उज्मा उख्तर को छ. ग. उर्दू अकादमी का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

2. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन होंगे तथा भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अकादमी के पेट्रन होंगे.

मनोनीत अध्यक्ष का कार्यकाल नामांकन की शेष अवधि तक होगा.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/4527/152/25-2/आजावि/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के संविधान की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 के प्रावधान के अनुसार मिर्जा एजाज बेग को छ. ग. उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष मनोनीत करता है.

2. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अकादमी के पेट्रन होंगे.

मनोनीत उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि तक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक 5540/डी-1465/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 379/दो-2-17/2001/गोपनीय/05, दिनांक 27-6-2005 के अनुशंसा पर श्री अनिल कुमार शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, छ.ग. की सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक/6507/डी-1886/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 467/1-8/6/01 (पी.टी.-दो)/गोपनीय/2005, दिनांक 9-8-2005 के अनुपालन में श्री गौतम चौरड़िया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती की सेवायें विधि और विधायी कार्य विभाग छ. ग. शासन रायपुर को आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक/6508/डी-1886/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 459/1-8/6/01 (पी.टी.-दो)/गोपनीय/2005, दिनांक 5-8-2005 के अनुपालन में श्री गौतम चौरड़िया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 1-3/दो/आठ-परि./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्र. 5485/डी-1464/21-ब/छत्तीसगढ़/05, रायपुर, दिनांक 30-6-2005 द्वारा श्री सनमान सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री सनमान सिंह को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर का पीठासीन अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोड़पाली प.ह.नं. 43	3.055	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोड़पाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्र. 236/रा.नि./05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कोयलारीकला प.ह.नं. 25	1.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला दुर्ग.	हेम्प दार्यी तट (धनौरा माइनर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2005

क्रमांक 4/अ-3/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन अधिनियम 1984(क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	0.697	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत, रतनपुर.	प्रियदर्शनी बस स्टैंड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

प्र. क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	महोरा	85.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2005

रा.प्र.क्र. 1/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सेमरचुवा	2.27	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	बरेला सेमरचुवा मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	किरना	33.71	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना एपलक्स बंड एवं डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	चीनू	6.06	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 26-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	तुलसी प. ह. नं. 52	23.49	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 27-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अमसेना प. ह. नं. 34/48	15.34	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 28-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बनरसी प. ह. नं. 51	20.53	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 29-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	धौराभाठा प. ह. नं. 34/48	14.03	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/751.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्दौरकला प.ह.नं. 12	2.594	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	मल्दी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/752.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेलीकला प.ह.नं. 5	1.516	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	सकरेलीकला माइनर नं. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	देवरी प.ह.नं. 2	0.570	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	ढोलनार माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1169/प्र-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	करेली	30.40	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, छत्तीसगढ़.	कोकड़ी जलाशय हेतु बांध-पार एवं डुबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आददेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सालेमेटा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.49
64	0.75
योग	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के बेसिन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर के कार्यालय अथवा कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 अगस्त 2005

क्रमांक 679/भू-अर्जन/अ.वि.अ./16-अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बेहरा भाठा, प. ह. नं. 112/59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
माइनर क्रमांक 4	
507	0.04
492	0.05
508/3	0.07
497	0.02
501	0.20
493	0.01
504	0.14
508/4	0.06
508/1	0.07
508/2	0.08
459	0.08
461	0.10
456	0.04
माइनर क्रमांक 5	
05	0.22

(1)	(2)
2/6	0.04
2/8	0.08
2/10	0.06
2/4	0.05
169/1	0.03
2/11	0.11
2/7	0.06
54	0.01
39	0.02
15	0.03
38	0.29
36	0.42
24	0.04
23	0.02
16	0.05
26	0.05
14	0.05
17	0.05
13	0.06
12	0.14
04	0.79
11	0.06
153	0.09
154	0.24
190	0.02
161/1	0.01
162	0.29
163	0.07
164	0.15
166/2	0.04
167	0.15
168	0.15
170	0.01
01	0.09
166/1	0.05
योग	5.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्रमांक 4 एवं 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2005

क्रमांक 5/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-मझगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
477/1	0.283
471/1 क	0.324
471/1 ख	0.562
481/6	0.028
502/4	0.279
503	1.141
502/1	0.271
513/2	0.394
480/2	0.729
484	0.607
472/4	0.275
507	0.020
510/1	0.121
510/2	0.405
471/5	0.474
472/1	0.081
471/6	0.158
495	0.364

(1)	(2)
471/4	0.065
477/2	0.121
513/4	0.202
499/1	0.336
499/2	0.271
480/1	0.735
513/5	0.150
482/1	0.384
488	0.065
492/3	0.210
489/3	0.781
513/3	0.364
502/2	0.279
496	0.206
513/1	0.032
481/5	0.158
481/7	0.129
490	0.024
482/3	0.405
483	0.061
494	0.073
479	0.833
478	0.186
486	0.413
485/1	1.052
511	0.320
512	0.405
492/2	0.405
478/1	0.433
510/3	0.364
489/1	0.121
489/2	0.113
489/4	0.445
499/4	0.109
502/3	0.283
498/2	0.024
499/3	0.445
497	0.283
492/1	0.344
491	0.607
493	0.174
482/2	0.547
508	0.198
481/4	0.158
500	1.640
501	0.020
481/1	0.129
481/3	0.129
498/3	0.429
509	0.194
481/2	0.223
योग	22.592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बगड़ी योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005

क्रमांक 7/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बचरवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.365 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1479/8	0.154
1462/1	0.340
1462/4	0.178

(1)	(2)	(1)	(2)
1462/8	0.219	1498	0.287
1464/1	0.040	1502/1	0.142
1458/2	0.275	1503/2	0.040
1502/2	0.041	1510/4	0.214
1451/1	0.121	1513/1	0.036
1479/4	0.093	1514/2	0.040
1472/3	0.194	1455/4	0.097
1479/1	0.085	1455/5	0.065
1479/6	0.081	1494/19	0.125
1479/7	0.081	1494/3	0.283
1463/2	0.328	1494/5	0.142
1457	0.466	1500/2	0.275
1461/2	0.182	1424	0.121
1465/1	0.198	1421/2	0.081
1451/3	0.081	1469/1	0.482
1491/3	0.243	1465/2	0.198
1496/2	0.162	1464/2	0.251
1456	0.591	1472/2	0.105
1504	0.243	1479/2	0.040
1509	0.518	1462/2	0.308
1472/1	0.259	1466/1	0.061
1479/3	0.081	1434/1	0.041
1479/5	0.081	1468/2	0.040
1479/10	0.154	1435/1	0.162
1491/5	1.303	1500/3	0.081
1458/1	0.275	1494/18	0.425
1462/6	0.170	1494/11	0.158
1419	0.041	1497/2	0.267
1420	0.317	1462/5	0.061
1422	0.121	1462/9	0.101
1449/1	0.365	1462/10	0.150
1503/1	0.526	1449/2	0.296
1512	0.036	1450	0.089
1497/1	0.081	1494/16	0.113
1461/1	0.450	1510/1	0.166
1515/4	0.049	1435/4	0.061
1521	0.020	1463/1	0.178
1515/3	0.154	1463/3	0.089
1514/1	0.020	1464/3	0.121
1421/1	0.069	1470/1	0.041
1462/3	0.170	1471	0.024
1462/7	0.150	1491/2	1.862

(1)	(2)
1469/2	0.486
1501/1	0.101
1455/1	0.089
1493	0.040
1494/1	0.299
1511	0.045
1491/4	0.271
1483/2	0.567
1494/4	0.121
1495	0.615
1459/1	0.101
1460/1	0.049
1460/2	0.049
1494/15	0.146
1494/17	0.081
1455/2	0.162
1455/3	0.032
1459/2	0.105
1494/7	0.279
1494/6	0.202
1494/8	0.380
1494/9	0.202
1494/10	0.239
1494/13	0.040
1494/14	0.352
1421/3	0.069
1494/2	0.478
1496/3	0.073
1454/2	0.239
1454/3	0.125
1500/1	0.178
1513/2	0.081
1515/2	0.040
1449/3	0.081
1510/2	0.049
1501/3	0.121
1430	0.093
1510/3	0.150
1506	0.081
1451/2	0.081
1481	0.607
1499	0.202
1501/2	0.020
1485	0.089
1480	0.841
1484	0.129
1486	0.470
1488	0.210
1464/1	0.040
1464/5	0.040
योग 131	27.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बगड़ी योजना के डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2004

क्रमांक 231/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जाजंग, प.ह.क्र. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1904	0.081
1960/2	0.109
1905	0.057
1906	0.004
1907/3, 4	0.032
1903/1	0.057
1903/2	0.073
1902	0.004
1962/1, 2	0.012
1932/1	0.089
1932/2	0.048
1932/3	0.008
1960/1	0.097
1959/3	0.028
1959/4	0.061
1953	0.032
2016	0.045
2018	0.040
2013	0.073
2012/1	0.101
2009/2	0.008
2009/3	0.069
2026/1, 2	0.162
2027/2	0.121
योग 24	1.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सकरेली माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 जुलाई 2005

क्रमांक 22/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पुटेकेला, प.ह.क्र. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
496/1	0.40
498/1, 2, 3, 500	0.065
496/3	0.016
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th June 2005

No. 352/Confdl./2005/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri Rangnath Chandrakar, Member of Higher Judicial Service presently posted as Distirct & Sessions Judge, Bilaspur is transferred and posted as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his Office after he is relieved by the order of the Hon'ble Full Court.

Bilaspur, the 5th August 2005

No. 460/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Arun Kumar Pradhan, IIIrd Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Sakti	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge vice Shri Gautam Chouradia.

Bilaspur, the 5th August 2005

No. 462/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Civil District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Raigarh	Bemetara	Durg	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Makardhwaj Jagdalla, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Bemetara	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक 3147/तीन-6-2/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

अनु.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के नाम	वर्तमान पदस्थापना	सिविल जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	जगदलपुर	बस्तर
2.	श्री मनोज कुमार प्रजापति	जगदलपुर	बस्तर
3.	श्री शेख अशरफ	बिलासपुर	बिलासपुर
4.	कु. रंजू राउतराय	बिलासपुर	बिलासपुर
5.	कु. संगीता शुक्ला	बिलासपुर	बिलासपुर
6.	श्री पंकज कुमार सिन्हा	बिलासपुर	बिलासपुर
7.	कु. श्रद्धा शुक्ला	बिलासपुर	बिलासपुर
8.	श्री यशवंत कुमार सारथी	बिलासपुर	बिलासपुर
9.	श्री पुरूषोत्तम सिंह मरकाम	बिलासपुर	बिलासपुर
10.	कु. स्वर्णलता तिर्की	जांजगीर	बिलासपुर
11.	श्री प्रफुल्ल सोनवानी	दुर्ग	दुर्ग
12.	कु. संघपुष्प भतपहरी	दुर्ग	दुर्ग
13.	कु. सुनीता साहू	दुर्ग	दुर्ग
14.	श्री पंकज कुमार जैन	रायगढ़	रायगढ़
15.	श्री मृत्युंजय सिंह पटेल	रायगढ़	रायगढ़
16.	श्री निरंजनलाल चौहान	रायगढ़	रायगढ़
17.	श्री संतोष कुमार आदित्य	रायपुर	रायपुर
18.	श्रीमती लीना अग्रवाल	रायपुर	रायपुर
19.	कु. मधु मिश्रा	रायपुर	रायपुर
20.	श्री हरीश कुमार अवस्थी	रायपुर	रायपुर
21.	कु. गरिमा आर्या	रायपुर	रायपुर
22.	श्री अजीत कुमार राजभानू	रायपुर	रायपुर
23.	श्री यशवंत वासनीकर	रायपुर	रायपुर
24.	श्रीमती उषा गेंदले	रायपुर	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	श्री महेश कुमार राज	रायपुर	रायपुर
26.	श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान	राजनांदगांव	राजनांदगांव
27.	श्री लीलाधर सारथी	अंबिकापुर	सरगुजा
28.	श्री आलोक कुमार	अंबिकापुर	सरगुजा
29.	श्री कीर्ती दान खलखो	अंबिकापुर	सरगुजा
30.	श्रीमती सुनीता टोप्पो	अंबिकापुर	सरगुजा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
डी. के. तिवारी, एडीशनल रजिस्ट्रार.